

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 49

दिनांक 12.2.21

मुकदमा नंबर 123/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.माना पुत्र अचलाराम कौम घाची निवासी कुम्हारों का चौक बालोतरा तह.पचपदरा जिला बाड़मेर	1.ओमप्रकाश पुत्र घीसुलाल कौम घाची नि.कुम्हारों का चौक बालोतरा 2.सुरेश पुत्र घीसुलाल कौम घाची नि.कुम्हारों का चौक बालोतरा 3.हड़मान पुत्र गुमनाराम कौम घाची नि.कुम्हारों का चौक बालोतरा 4.केवलराम पुत्र चिमनाराम कौम घाची नि.कुम्हारों का चौक बालोतरा 5.सुकीदेवी बेवा मोहनलाल कौम घाची नि.कुम्हारों का चौक बालोतरा 6.हीरालाल पुत्र मोहनलाल कौम घाची नि.कुम्हारों का चौक बालोतरा 7.तुलसाराम पुत्र मोहनलाल कौम घाची नि.कुम्हारों का चौक बालोतरा 8.प्रेम-पंवार पुत्र हरीराम जाति माली नि.गाधीपुरा बालोतरा 9.नगर परिषद बालोतरा जरिये आयुक्त नगर परिषद बालोतरा 10. नगर परिषद बालोतराजरिये समपति नगर परिषद बालोतरा 11. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक जरिये तहसीलदार पचपदरा	

आदेश

दिनांक -12.2.21

उपर्युक्त प्रकरण मौजा रामसीन पटवार हल्का रामसीन भू-अभिलेख निरीक्षक बालोतरा में खसरा नंबर 857/22 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा किस्म बारानी सहरद विवादित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरें एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें



क्रमांक /रीडर/ 2021/ 50-54

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक 12-2-21

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना को पालना हेतु
3. पटवारी रामसीन पटवार क्षेत्र रामसीन तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। को मेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्रार्थीगण माना पुत्र अचलाराम कौम घाची निवासी कुम्हारों का चौक बालोतरा तह.पचपदरा जिला 5. विप्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र घीसुलाल कौम घाची वर्ग. नि.कुम्हारों का चौक बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

